इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3601

भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 अगस्त 2013—श्रावण 21, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. 5192-234-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अगस्त 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०१३.

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, २०१३.

[दिनांक १२ अगस्त, २०१३ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई, अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक १२ अगस्त, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

् १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्र मांक २९ सन् १९६७ की धारा २ द्वारा यथास्थापित मूल नियम (फण्डामेंटल-रूल्स) ५६ का संशोधन.

- २. मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, १९६७ (क्रमांक २९ सन् १९६७) की धारा २ में, मूल नियम (फण्डामेंटल रूल्स) के नियम ५६ में,—
 - (एक) उपनियम (१) में, दो बार आने वाले कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द
 - ''(१-झ) एवं (१-ञ)'' के स्थान पर, कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द ''(१-झ), (१-ञ) एवं (१-ट)'' स्थापित किए जाएं;
 - ''(दो) उपनियम (१-अ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्ः—
 - ''(१-ट)उपनियम (२) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ की अनुसूची-१ में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त हो जाएगा:
 - परन्तु मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ की अनुसूची-१ में उिल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त किया गया मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का प्रत्येक ऐसा सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा.
 - स्पष्टीकरण.—इस उपनियम के प्रयोजन के लिए ''मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) का कोई सदस्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) भर्ती नियम, १९८१ के अनुसार चिकित्सा बीमा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया कोई शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, और उसमें ऐसे चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित हैं, जो पदोन्नित द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किए गए हों, और जिन्होंने चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कम से कम बीस वर्ष तक सेवा की हो बशर्ते कि वे मध्यप्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा सेवा (राजपत्रित) में किसी पद पर धारणाधिकार रखते हों.''.

निरसन तथा व्यावृत्ति.

- ३. (१) मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अध्यादेश, २०१३ (क्रमांक ३ सन् २०१३), एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.
- (२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2013

क्र. 5193-234-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव. अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 26 OF 2013

THE MADHYA PRADESH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 12th August, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 12th August, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows:—

- 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki- Ayu)
- Sanshodhan Adhiniyam, 2013.
- 2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967), in rule 56 of the Fundamental Rules,—
 - (i) in sub-rule (1), for the brackets, figures, letters and word "(1-i) and (1-j)" occurring twice, the brackets, figures, letters and word "(1-i), (1-j) and (1-k)" shall be substituted;
 - (ii) after sub-rule (1-i), the following sub-rule shall be added, namely:—
 - "(1-k) Subject to the provisions of sub-rule (2), every member of the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazetted) appointed to a medical post mentioned in Schedule I to the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazetted) Recruitment Rules, 1981 shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of sixty five years:

Provided that every member of the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazetted) appointed to a medical post mentioned in Schedule I to the Madhya Pradesh Employees' State Insurance Services (Gazetted) Recruitment Rules, 1981 whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty five years.

- Explanation.—For the purpose of this sub-rule "a member of the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazetted)" means a Government Servant by whatever designation called, appointed as Insurance Medical Officer or Specialist in accordance with the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services (Gazetted) Recruitment Rules, 1981 and shall also include such Medical Officer or Specialist who is appointed to a administrative post by promotion or otherwise and who has served as Medical Officer or Specialist for not less than twenty years provided he holds a lien on a post in the Madhya Pradesh Employees State Insurance Services(Gazetted)."
- 3. (1) The Madhya Pradesh Shaskiya Sevak (Adhvarshiki-Ayu) Sanshodhan Adhyadesh, 2013 (No. 3 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

Rule 56 as substituted by Section 2 of the Madhya Pradesh

Amendment of

Fundamental

Act No. 29 of 1967.

Short title.

Repeal and saving.